न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 20 / 2021
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) राज0

वादी

बनाम

1. लखवीर सिंह
2. रविन्द्र सिंह पिसरान हरभजन सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :– 30 / 11 / 2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2496 / 0.45 हैक्टर किस्म चाही बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 2496 / 0.45 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर भूमि पर प्लॉटिंग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग में ली जा रही है। जिस हेतु प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नहीं कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण के इस कृत्य की देखा देखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि संबन्धी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । भविष्य में क्षेत्र के विकास में बाधक होगी। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 2496 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर भूमि पर बिना किस्म संपरिवर्तन आदेश के अवैध प्लॉटिंग व्यवसाय निर्माण किया हुआ है। इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये। दिनांक 28/06/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2496/0.45 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज आराजी है। उक्त खसरा नम्बर में हम प्रार्थीगण ने कोई प्लॉटिंग का कार्य नहीं कर रखा है कि जबकि मौके पर हम प्रार्थीगणो ने 0.45 हैक्टर के पूरे हिस्से पर काश्त कर रहे है व इस समय मौके पर ज्वार की फसल बो रखी है। प्रार्थीगण को जो नोटिस अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट के तहत दिया गया है वह तंग व परेशान करने की गरज से दिया गया है। जो काबिले खारिज है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2496/0.45 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा में से 0.30 हैक्टर भूमि पर बिना किस्म सपरिवर्तन आदेश के अवैध प्लॉटिंग व्यवसायिक निर्माण किया हुआ है। उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।

........वादी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में कोई प्लॉटिंग कार्य नहीं कर रखा है पूरे रकबा में मौके पर काश्त कर रखी है। जिसमें ज्वार की फसल बो रखी है।

........प्रतिवादीगण

3 :– **दादरसी** । दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी पेश नहीं करने के कारण दिनांक 26/10/2021 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 लखवीर सिंह, डी0डब्लू0 2 रविन्द्र सिह , डी0डब्लू0 3 आमीन , डी0डब्लू0 4 रजाक , डी0डब्लू0 4 हारून के शपथ पत्र पेश किये । वकील प्रतिवादीगण द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश न करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का कैथवाडा प्रथम दिनांक 15/11/2021 पेश की है।

तहसीलदार पहाडी से आराजी के वर्तमान मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2496/0.45 हैक्टर की हाल स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर उक्त भूमि पर पशु चारा हेतु वरसम बोई जा चुकी है। खेत में ज्वार के पूले इकट्‌टे हुए रखे है। आराजी पर कृषि कार्य किया जा रहा है।

बहस वादी एवं वकील प्रतिवादीगण सुनी गई। हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

<u>तनकी संख्या 1 :—</u> आया प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2496/0.45 हैक्टर वांके ग्राम कैथवाडा में से 0.30 हैक्टर भूमि पर बिना किस्म सपरिवर्तन आदेश के अवैध प्लॉटिंग व्यवसायिक निर्माण किया हुआ है। उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तहसीलदार पहाड़ी ने तत्समय पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दावा पेश किया था। साक्ष्य के दौरान तहसीलदार पहाड़ी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित आराजी पर प्लॉटिंग कार्य किया हो। अपितु प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत की है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है मौके पर उक्त भूमि पर पशु चारा हेतु बरसम बोई जा चुकी है। खेत में ज्वार के पूले इकठ्टे हुए रखे है। आराजी पर कृषि कार्य किया जा रहा है। वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :—</u> आया प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में कोई प्लॉटिंग कार्य नहीं कर रखा है पूरे रकबा में मौके पर काश्त कर रखी है। जिसमें ज्वार की फसल बो रखी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जबाब प्रतिवादीगण एवं विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पटवारी से यह बखूबी प्रमाणित है कि मौके पर उक्त भूमि पर पशु चारा हेतु बरसम बोई जा चुकी है। खेत में ज्वार के पूले इकठ्टे हुए रखे है। आराजी पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने मे सफल रहे है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :— तनकी संख्या 1, 2 वहक प्रतिवादीगण निर्णित हो गई है। अतः वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। दावा वादी प्रनाणित नहीं होने के कारण काबिले खारिज किये है।

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादी प्रमाणित न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)